सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दैनिक जागरण लखनऊ दिनांक 16 APR 2024

आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को तीन बार सार्वजनिक करनी होगी सूचना

राज्य ब्यूरो, जागरण लखनऊ : निर्वाचन आयोग ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए गाइडलाइन जारी की है। ऐसे उम्मीदवारों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना तीन बार सार्वजनिक करनी होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि आयोग ने आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना को सार्वजनिक करने की समय-सीमा भी निर्धारित की है। सूचना को नाम वापसी के आखिरी दिन से मतदान के 48 घंटे पूर्व तक तीन चरणों में प्रकाशित-प्रसारित करना अनिवार्य है।

आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों को अपनी पृष्ठभूमि की सूचना को पहली बार नाम वापसी की तिथि के चार दिनों के भीतर प्रकाशित करना होगा। दूसरा प्रकाशन नाम वापसी

उम्मीदवारों के लिए गाइडलाइन

की तिथि के बाद पांच से आठ दिनों में कराना होगा और तीसरा प्रकाशन नाम वापसी की तिथि के नौवें दिन से चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक कराना होगा। ऐसे प्रत्याशियों को आयोग से निर्धारित फांट साइज के अनुसार अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रसार वाले समाचार पत्रों में स्थानीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित करना होगा, जो एक राष्ट्रीय और एक स्थानीय समाचार पत्रों में हो। इसी प्रकार संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध एवं लोकप्रिय टीवी चैनलों में भी इस सूचना का प्रसारण करवाना होगा। निर्वाचन प्रक्रिया के बाद सूचना के प्रकाशन संबंधी रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दैनिक जागरण लखनऊ दिनांक 16 APR 2024

तीसरे चरण के लिए अब तक 19 प्रत्याशियों ने किया नामांकन

राज्य ब्यूरो, जागरण लखनऊ : उप्र में तीसरे चरण की 10 सीटों के लिए अब तक 19 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। सोमवार को 18 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। संभल, आगरा (अजा), मैनपुरी, एटा और आंवला में एक-एक, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद व बदायूं दो-दो, हाथरस (अजा) में तीन और बरेली में चार प्रत्याशियों ने नामांकन किया। तीसरे चरण के लिए 19 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नाम वापसी की अंतिम तिथि 22 अप्रैल है। सात मई को वोट डाले जाएंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि 15 अप्रैल को संभल निर्वाचन क्षेत्र के लिए पीस पार्टी से राशिद ने नामांकन पत्र भरा। हाथरस निर्वाचन क्षेत्र के लिए सपा से जसवीर, स्वराज भारतीय न्याय पार्टी से घनश्याम सिंह व निर्दलीय प्रत्याशी जयपाल, आगरा के लिए भाजपा से सत्यपाल सिंह बघेल, फतेहपुर सीकरी से निर्दलीय प्रत्याशियों में अंबेडकरी हसनुराम अंबेडकरी तथा रामेश्वर सिंह,फिरोजाबाद सीट से सपा से अक्षय यादव और भारतीय किसान परिवर्तन पार्टी से उपेंद्र सिंह, मैनपुरी सीट के लिए भाजपा से जयवीर सिंह, एटा से भाजपा राजवीर सिंह, बदायूं सीट के लिए सपा से आदित्य यादव और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से किशोर कुमार, आंवला के लिए भाजपा से धर्मेंद्र कश्यप, बरेली के लिए भाजपा से छत्रपाल सिंह, जनशक्ति एकता पार्टी से रोहताश कुमार वंचित समाज इंसाफ पार्टी से लईक अहमद मंसूरी और निर्दलीव नितिन मोहन ने नामांकन पत्र भरा।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 अमर उजाला लखनऊ दिनांक 16 APR 2024

आपराधिक इतिहास की जानकारी तीन बार देंगे प्रत्याशी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना तीन बार सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा। ये नाम वापसी के अंतिम दिन के बाद से शुरू होकर मतदान के 48 घंटे पहले तक तीन चरणों में सार्वजनिक करनी होगी। इसका उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाना व मतदाताओं को उम्मीदवारों की वास्तविक जानकारी देना है।

आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में देना अनिवार्य

रिणवा ने बताया कि आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना तीन बार सार्वजनिक करने की प्रक्रिया का पालन करना होगा। पहला प्रकाशन नाम वापसी की तारीख के बाद चार दिन के भीतर व दूसरा प्रकाशन नाम वापसी की तारीख के बाद 5 से 8 दिनों में कराना होगा। तीसरा प्रकाशन नाम वापसी की तारीख के बाद 9वें दिन से चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक कराना होगा। प्रत्याशियों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना का प्रकाशन आयोग द्वारा निर्धारित शब्दों के आकार में अपने निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसार वाले समाचार पत्रों में स्थानीय या अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित कराना होगा। इसी प्रकार संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध और लोकप्रिय टीवी चैनलों में भी इसका प्रसारण करवाना होगा, इसकी समयावधि सुबह 8 बजे से रात 10 बजे के बीच कम से कम सात सेकंड की हो। ब्यूरो

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 अमर उजाला लखनऊ दिनांक 16 APR 2024

यूपी में 150 करोड़ की शराब, ड्रग और कीमती वस्तुएं सीज

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि आबकारी, आयकर, पुलिस और नार्कोटिक्स विभाग व अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा प्रदेश में अभी तक कुल 150 करोड़ की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं व नगदी आदि जब्त की गई है। इसमें 24 करोड़ नकद, 36.84 करोड़ की शराब, 56.45 करोड़ की ड्रग, 21.33 करोड़ की बहुमूल्य धातुएं और 11.48 करोड़ की अन्य सामग्री है। ब्यूरो >> 2853 किलो विस्फोटक बरामद : पेज 5

485 लाइसेंसी शस्त्र जब्त, 2853 किलोग्राम विस्फोटक बरामद

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश में अभी तक कुल 150 करोड़ की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं व नगदी आदि जब्त की गई है। 16 मार्च से अभी तक अपराधिक व्यक्तियों के 485 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किए गए। 4169 लाइसेंसी शस्त्रों के लाइसेंस निरस्त कर जमा कराए गए। उन्होंने बताया कि सीआरपीसी के तहत 23.42 लाख लोगों को पाबंद करने के नोटिस भेजे गए। इनमें से 17 लाख से ज्यादा लोगों को पाबंद किया जा चुका है। पुलिस द्वारा 6412 बिना लाइसेंस के अवैध शस्त्र, 6519 कारतूस, 2853 किलो विस्फोटक व 335 बम बरामद कर सीज किए गए। अवैध शस्त्र बनाने वाले 2352 केंद्रों पर छापे मारे गए और 120 केंद्रों को सीज किया गया। ब्यूरो

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 अमर उजाला लखनऊ दिनांक 16 APR 2024

चुनाव प्रचार सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम अनिवार्य

लखनऊ। सभी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम व पता देना अनिवार्य है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल होने वाले पर्चों, पोस्टर या बैनर को मुद्रक और प्रकाशक के नाम-पते के बिना मुद्रित नहीं किया जा सकता।

आयोग ने यह निर्देश उन शिकायतों के बाद जारी किया, जिसमें दावा किया गया था कि नगर निकाय के नियंत्रण वाले होर्डिंग लगाने के स्थानों पर बिना प्रकाशक और मुद्रक की पहचान वाले होर्डिंग लगे हैं। इस निर्देश के साथ आयोग ने अब 'आउटडोर मीडिया' पर प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए स्थान किराये पर देने वाले सभी स्थानीय प्रशासन व नगरीय निकायों केलाइसेंसधारियों, ठेकेदारों की जवाबदेही भी तय कर दी है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि इसके तहत चुनाव प्रचार सामग्री आदर्श आचार संहिता के निर्धारित मानक के अनुरूप निश्चित स्थान पर लगी हो। होर्डिंग्स, पोस्टर व बैनर में प्रकाशित सामग्री में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम मुद्रित हो, इसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। ब्यूरो

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 अमर उजाला लखनऊ दिनांक 15 APR 2024

तीसरे चरण के चुनाव के लिए अबतक 19 नामांकन

लखनऊ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही अब तक 19 प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं। दस लोकसभा सीटों के लिए सोमवार को 18 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने ये जानकारी दी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सोमवार को सम्भल लोकसभा के लिए पीस पार्टी से राशिद ने नामांकन पत्र भरा। हाथरस (अजा) से समाजवादी पार्टी से जसवीर, स्वराज भारतीय न्याय पार्टी से घनश्याम सिंह और निर्दलीय जयपाल ने नामांकन पत्र भरा।आगरा (अजा) से भाजपा के सत्यपाल सिंह बघेल ने नामांकन पत्र भरा फ़तेहपुर सीकरी से निर्दलीय प्रत्याशियों में अंबेडकरी हसनुराम अंबेडकरी और रामेश्वर सिंह ने नामांकन पत्र भरा। फिरोजाबाद से सपा के अक्षय यादव और भारतीय किसान परिवर्तन पार्टी से उपेन्द्र सिंह ने नामांकन पत्र भरा। मैनपुरी से भाजपा के जयवीर सिंह ने नामांकन पत्र भरा। एटा के लिए भाजपा के राजवीर सिंह ने नामांकन पत्र भरा। बदायूं से सपा के आदित्य यादव और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से किशोर कुमार ने नामांकन पत्र भरा। आंवला से भाजपा के धर्मेन्द्र कश्यप और बरेली से छत्रपाल सिंह, जनशक्ति एकता पार्टी से रोहताश कुमार, वंचित समाज इंसाफ पार्टी से लईक अहमद मंसूरी तथा निर्दलीय प्रत्याशी में नितिन मोहन ने नामांकन पत्र भरा। ब्यूरो

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 अमर उजाला लखनऊ दिनांक 16 APR 2024

एडेड शिक्षकों की भी लगेगी चुनाव में ड्यूटी

लखनऊ। लोकसभा चुनाव में इस बार अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की भी ड्यूटी लगेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजधानी में करीब दो हजार एडेड शिक्षकों की चुनाव में ड्यूटी लगाने का आदेश जारी किया है। राजधानी में 20 मई को मतदान होना है। माध्यमिक शिक्षक संघ, एकजुट के अध्यक्ष सोहनलाल वर्मा ने कहा कि एडेड शिक्षकों की ड्यूटी लगाना गलत है। उधर, कलेक्ट्रेट में सोमवार को डीएम ने मास्टर ट्रेनर्स को ईवीएम तथा वीवीपैट का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि केकेसी में 29 अप्रैल को अन्य मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। (संवाद)

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

दै0 हिन्दुस्तान, लखनऊ 16 APR 2024

समाचार पत्र का नाम ..... दिनांक .....

दागी उम्मीदवारों को जानकारी सार्वजनिक करनी होगी

- अखबारों में तीन बार प्रकाशित करानी होंगी सूचनाएं
- संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध टीवी चैनलों में भी सूचना का प्रसारण कराना होगा

लखनऊ,विशेष संवाददाता। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को इसके बारे में सूचनाएं तीन बार सार्वजनिक करानी होगी। इससे निर्वाचन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आएगी और मतदाताओं को उम्मीदवारों की वास्तविक जानकारी मिल सकेगी।

उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान समय-समय पर मतदाताओं की जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना को सार्वजनिक करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

दै० हिन्दुस्तान, लखनऊ 16 APR 2024

समाचार पत्र का नाम ..... दिनांक .....

चुनाव प्रचार सामग्री में मुद्रक का नाम जरूरी

लखनऊ। चुनाव प्रचार सामग्री पैंफलेट, पोस्टर या बैनर पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता छापना अनिवार्य होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिवणा ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने बताया कि आयोग ने यह निर्देश उन शिकायतों के बाद जारी किया, जिसमें दावा किया गया था कि नगर निकाय के नियंत्रण वाले होर्डिंग लगाने के स्थानों पर बिना प्रकाशक और मुद्रक की पहचान वाले होर्डिंग लगे हैं।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० हिन्दुस्तान, लखनऊ दिनांक 16 APR 2024

तीसरे चरण के लिए अब तक 18 नामांकन

लखनऊ। यूपी में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 10 सीटों के लिए सोमवार को 18 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। अब तक इस चरण में 19 प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने उपरोक्त जानकारी दी है। इस चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल तथा मतदान की तिथि सात मई है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

दै0 हिन्दुस्तान, लखनऊ 16 APR 2024

समाचार पत्र का नाम ..... दिनांक .....

आयोग ने अब तक 98 लाख प्रचार सामग्री हटाई

लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि सार्वजनिक और निजी स्थानों से 9822764 प्रचार-प्रसार सामग्री हटाई गई। इनमें सार्वजनिक स्थानों से 5929782 और निजी स्थानों से 3892982 प्रचार-प्रसार सामग्री हटाई गई। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों से वालराइटिंग 632639, पोस्टर 2786765, बैनर 1689357 और अन्य 821021 मामलों में कार्रवाई की गई।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

दै0 हिन्दुस्तान, लखनऊ

16 APR 2024

समाचार पत्र का नाम ..... दिनांक .....

आयोग की सख्ती से 150 करोड़ का सामान जब्त

लखनऊ। प्रवर्तन इकाइयों द्वारा छापेमारी अभियान में अब तक 150.79 करोड़ रुपये के सामान जब्त किए गए हैं। इसमें अवैध शराब, नगदी आदि है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आबकारी, आयकर, पुलिस विभाग व अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा एक मार्च से 14 अप्रैल तक कुल 15079.66 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं व नगदी आदि जब्त किए हैं।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 नवभारत टाइम्स, लखनऊ दिनांक 16 APR 2024

प्रचार सामग्री पर प्रकाशक का नाम जरूरी

■ **लखनऊ** : चुनाव आयोग ने कहा है कि सभी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते का अनिवार्य रूप से उल्लेख करना होगा। आयोग ने यह निर्देश उन शिकायतों के बाद जारी किया है, जिसमें दावा किया गया था कि नगर निकायों के नियंत्रण वाले होर्डिंग लगाने के स्थानों पर बिना प्रकाशक और मुद्रक की पहचान वाले होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि आयोग ने अब 'आउटडोर मीडिया' पर प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए स्थान किराए पर देने वाले स्थानीय प्रशासन और नगरीय निकायों के ठेकेदारों की जवाबदेही भी तय कर दी है। (ब्यूरो)

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

दै0 राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ..... दिनांक 16 APR 2024

प्रत्याशियों को आपराधिक पृष्ठभूमि का सूचना तीन बार सार्वजनिक करनी होगी

लखनऊ। उप्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना तीन बार सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा। इस निर्णय का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाना है और मतदाताओं को उम्मीदवारों की वास्तविक जानकारी प्रदान करना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना को तीन बार सार्वजनिक करने की प्रक्रिया का पालन करना होगा। पहला प्रकाशन नाम वापसी की तिथि के बाद 4 दिनों के भीतर कराना होगा। दूसरा प्रकाशन नाम वापसी की तिथि के बाद 5 से 8 दिनों में कराना होगा और तीसरा प्रकाशन नाम वापसी की तिथि के बाद 9वें दिन से चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक कराना होगा। प्रत्याशियों द्वारा अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना का प्रकाशन आयोग द्वारा निर्धारित किये गये फॉण्ट साइज के अनुसार अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रसार वाले समाचार पत्रों में स्थानीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित कराया जाए, जो किसी एक राष्ट्रीय और एक स्थानीय समाचार पत्रों में हो।

उन्होंने बताया कि उड़न दस्तों ने 346.19 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातु व नकदी जब्त किया है। श्री रिणवा ने कहा कि बिना अनुमति के सभा करने, मतदाताओं को नकदी बांटने व अन्य मामलों में 59 एफआईआर दर्ज की गयी है। आचार संहिता अनुपालन में 16 असलहों के लाइसेंस निरस्त किये गये हैं।

श्री रिणवा ने कहा है कि चुनाव प्रचार सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम-पता का उल्लेख अनिवार्य किया गया है : यह कदम चुनाव प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पैम्फलेट, पोस्टर या बैनर के मुद्रण में मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते के बिना मुद्रित नहीं किया जा सकता। आयोग ने यह निर्देश उन शिकायतों के बाद जारी किया, जिसमें दावा किया गया था कि नगर निकाय के नियंत्रण वाले होर्डिंग लगाने के स्थानों पर बिना प्रकाशक और मुद्रक की पहचान वाले होर्डिंग लगे हुए हैं।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ दिनांक 16 APR 2024

तृतीय चरण : 10 क्षेत्रों में 18 प्रत्याशियों ने किया नामांकन

लखनऊ (एसएनबी)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 12 अप्रैल को लोकसभा सामान्य निर्वाचन के तृतीय चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही अब तक 19 प्रत्याशियों ने नामांकन किये। तृतीय चरण की 10 लोकसभा सीटों के लिए 15 अप्रैल को 18 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन किया गया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में तृतीय चरण की 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 15 अप्रैल को जिन प्रत्याशियों ने नामांकन किया, उसमें सम्भल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए पीस पार्टी से राशिद ने नामांकन पत्र भरा। इसी तरह हाथरस (अजा) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए समाजवादी पार्टी से जसवीर, स्वराज भारतीय न्याय पार्टी से घनश्याम सिंह, निर्दलीय प्रत्याशी जयपाल ने नामांकन पत्र भरा, जबकि आगरा (अजा) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी से सत्यपाल सिंह बघेल, फतेहपुर सीकरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्दलीय प्रत्याशियों में अम्बेडकरी हसनुराम अम्बेडकरी तथा रामेश्वर सिंह, फिरोजाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए समाजवादी पार्टी से क्षअय यादव तथा भारतीय किसान परिवर्तन पार्टी से उपेन्द्र सिंह, मैनपुरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी से जयवीर सिंह और एटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी से राजवीर सिंह ने नामांकन पत्र भरा। इसी तरह बदायूं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए समाजवादी पार्टी से आदित्य यादव तथा राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से किशोर कुमार, आँवला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी से धर्मेन्द्र कश्यप, बरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी से छत्रपाल सिंह, जनशक्ति एकता पार्टी से रोहताश कुमार, वंचित समाज इंसाफ पार्टी से लईक अहमद मंसूरी तथा निर्दलीय प्रत्याशी में नितिन मोहन ने नामांकन भरा। तृतीय चरण की 10 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल निर्धारित है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

16 APR 2024

समाचार पत्र का नाम दैनिक जागरण लखनऊ दिनांक

आयोग के समक्ष बढ़ते तापमान में मतदान बढ़ाने की चुनौती

राज्य ब्यूरो, जागरण लखनऊ : मतदान के दौरान मौसम का पारा चढ़ने की आशंका बढ़ती जा रही है। ज्यादा गर्मी का मतदान प्रतिशत पर भी प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में निर्वाचन आयोग के समक्ष मतदान प्रतिशत बढ़ाने की बड़ी चुनौती है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का औसत मतदान 59.21 प्रतिशत रहा था जो कि राष्ट्रीय औसत 67.40 से काफी कम था।

भीषण गर्मी को देखते हुए निर्वाचन आयोग के स्तर से हाल ही में जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। स्पष्ट कहा गया है कि मौसम विभाग की लू के संबंध में की गई भविष्यवाणी को देखते हुए मतदाताओं को धूप से बचाने के लिए मतदेय स्थलों पर टेंट, छतरियां, कुर्सियां, पंखे की व्यवस्था कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। सभी मतदेय स्थलों पर पेयजल की व्यवस्था के साथ ही स्थानीय सरकारी एजेंसियों, स्वास्थ्य विभाग और आपातकालीन सेवाओं के साथ समन्वय बनाए रखने की बात भी कही गई है। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग व्यक्तियों और चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों की लू से सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दैनिक जागरण लखनऊ दिनांक 16 APR 2024

हर दिन 100 करोड़ के ड्रग्स, नकदी व आभूषण हो रहे जब्त

जागरण ब्यूरो • नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को है, हालांकि इससे पहले ही चुनाव में धनबल के इस्तेमाल की कोशिशें शुरू हो गई हैं। एक मार्च से 13 अप्रैल के बीच देश में अवैध तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान लाई जा रही या फिर संग्रह करके रखी गई कुल 4650 करोड़ की नकदी व सामग्री चुनाव आयोग ने जब्त की है यानी हर दिन करीब 100 करोड़ की जब्ती। इनमें अकेले दो हजार करोड़ से अधिक की कीमत का ड्रग्स शामिल है। इसके अलावा करीब चार सौ करोड़ की नकदी, 489 करोड़ की शराब, 562 करोड़ के सोने-चांदी के आभूषण और 1,142 करोड़ के उपहार भी जब्त किए गए हैं। यह लोकसभा चुनावों के अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी जब्ती है।

चुनाव आयोग की सख्ती

चुनाव में मतदाताओं को नकदी, शराब, ड्रग्स और उपहारों के जरिए लुभाने के बढ़ते चलन को देखते हुए आयोग पहले से अवैध रूप से इन चीजों के परिवहन और जमाखोरी पर नजर रखता है। इसके लिए आयकर विभाग, ईडी, आबकारी विभाग, सीआइएसएफ, सिविल एविएशन, पुलिस, परिवहन, कस्टम, वनविभाग और बीएसएफ सहित दूसरे बलों की टीमें लगाई हैं।

लोकतंत्र से छल
» संपादकीय

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

16 APR 2024

समाचार पत्र का नाम दैनिक जागरण लखनऊ दिनांक .....

चुनाव प्रचार सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक के नाम-पते का करना होगा उल्लेख

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ : चुनाव प्रचार सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम व पता का अनिवार्य रूप से उल्लेख करना होगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 ए के तहत चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल होने वाले पैम्फलेट, पोस्टर या बैनर को प्रकाशक के नाम और पते के बिना मुद्रित नहीं किया जा सकता।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 अमर उजाला लखनऊ दिनांक 16 APR 2024

चुनाव आयोग रोज कर रहा 100 करोड़ की जब्ती, अब तक 4,650 करोड़ की बरामदगी

चुनावी इतिहास में सबसे बड़ी जब्ती : इनमें नकदी, शराब, ड्रग्स, उपहार...अभी पहले दौर का मतदान बाकी...2019 के पूरे चुनाव के दौरान यह आंकड़ा था 3,475 करोड़

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में धनबल पर अंकुश लगाने में जुटा चुनाव आयोग एक मार्च से हर रोज तकरीबन 100 करोड़ रुपये की जब्ती कर रहा है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। इससे पहले ही, एक मार्च से 13 अप्रैल तक आयोग 4,650 करोड़ की जब्ती कर चुका है। चुनावी इतिहास में यह सबसे बड़ी जब्ती है। इसमें नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती वस्तुएं और उपहार शामिल हैं। 45 फीसदी जब्ती नशीले पदार्थों की है। 2019 के पूरे लोकसभा चुनाव में कुल 3,475 करोड़ की जब्ती की गई थी।

आयोग के अनुसार, अब तक 395.39 करोड़ रुपये नकद, 489 करोड़ की शराब, 2,068 करोड़ की ड्रग्स, 562 करोड़ की कीमती वस्तुएं व 1,142 करोड़ के उपहार बरामद किए गए हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार ड्रग्स, शराब और उपहारों की अधिक जब्ती हुई है। यह बरामदगी चुनाव को प्रलोभन से मुक्त कराने के संकल्प का अहम हिस्सा है।

गाजियाबाद में सोमवार को जांच के दौरान दस लाख रुपये बेनामी जब्त किए गए।

जब्ती में राजस्थान...ड्रग्स में गुजरात सबसे ऊपर

- **राजस्थान** 778.52 करोड़ की जब्ती के साथ शीर्ष पर है। गुजरात में 605.35 करोड़, तमिलनाडु में 460.84 करोड़, महाराष्ट्र में 431.34 करोड़, पंजाब में 311.84 करोड़, कर्नाटक में 281.43 करोड़, दिल्ली में 236.06 करोड़, प. बंगाल में 219.60 और उत्तर प्रदेश में 145.76 करोड़ जब्त किए गए।
- **तमिलनाडु में सर्वाधिक नकदी :** तमिलनाडु में 53.58 करोड़, तेलंगाना में 49.18 करोड़, महाराष्ट्र में 40.05 करोड़ रुपये जब्त किए।

ड्रग्स जब्ती : गुजरात 485.99 करोड़ के साथ शीर्ष पर है। तमिलनाडु में 293.02 करोड़, पंजाब में 280.81 करोड़, दिल्ली में 189.94 करोड़ रुपये।

शराब जब्ती : कर्नाटक में 124.33 करोड़ की 1.30 करोड़ लीटर। इसके बाद प. बंगाल में 51.17 करोड़, राजस्थान में 40.78 करोड़ की शराब जब्त।

राहुल गांधी के हेलिकॉप्टर की तलाशी

नीलगिरि। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हेलिकॉप्टर की नीलगिरि में चुनाव आयोग के उड़नदस्ते के अधिकारियों ने जांच की। राहुल तब वायनाड जा रहे थे। कांग्रेस ने कहा कि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, सच को आंच नहीं, लेकिन आयोग पीएम, गृह मंत्री के हेलिकॉप्टर की भी जांच करे। एजेंसी

मुर्शिदाबाद के डीआईजी को हटाया : *चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा और उन्हें रोकने में नाकाम रहने पर वहां के डीआईजी एस मुकेश को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया। आयोग ने बताया, मुर्शिदाबाद में हिंसा की दो घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें हथियार व विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया। मुख्य सचिव बीपी गोपालिक को लिखे पत्र में आयोग ने कहा, इस निर्देश पर तत्काल अमल किया जाए।*

- ***अब तक 106 सरकारी सेवकों के खिलाफ कार्रवाई की है।*** *ये नेताओं के चुनाव प्रचार में सहायक करते हुए आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे।*

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

दै0 हिन्दुस्तान, लखनऊ 16 APR 2024

समाचार पत्र का नाम ..... दिनांक .....

आयोग ने इस चुनाव में जब्ती का रिकॉर्ड तोड़ा

नई दिल्ली। लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभाओं के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के अपने अभियान में निर्वाचन आयोग ने धन बल, शराब, मादक पदार्थों, सोना के अवैध आवाजाही रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने कहा है कि 2024 में अब तक की गई जब्ती लोकसभा चुनावों के 75 साल के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक जब्ती है। आयोग ने 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले पूरे देशभर में नकदी, सोना, मादक पदार्थ और शराब सहित कुल 4,650 करोड़ की वस्तुओं को जब्त किया है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

दै० नवभारत टाइम्स, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ...दै० नवभारत टाइम्स लखनऊ... दिनांक 16 APR 2024

कुकी समुदाय करेगा चुनाव का बहिष्कार

कुकी समुदाय के कुछ संगठनों ने घोषणा की है कि वे लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। संगठनों ने 'न्याय नहीं तो वोट नहीं' का नारा देते हुए कहा कि संसदीय चुनाव में वे कोई उम्मीदवार नहीं उतार रहे। वैश्विक कुकी-जोमी-हमार महिला समुदाय ने पहले ही सीईसी को पत्र लिखकर चुनाव बहिष्कार के फैसले की जानकारी दी थी।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

दै0 नवभारत टाइम्स, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ..... दिनांक 16 APR 2024

नेताओं की मदद, 106 अफसरों पर आयोग का ऐक्शन

■ एनबीटी ब्यूरो, नई दिल्ली: चुनावों के दौरान सरकारी कर्मचारी से उम्मीद की जाती है कि वे निष्पक्ष रहेंगे। लिहाजा, चुनाव आयोग ने प्रचार में नेताओं की मदद के आरोप में 106 सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई की है।

विडियो फुटेज में अधिकारी मदद करते नजर आए

चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि ये सरकारी कर्मचारी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए प्रचार में नेताओं की किसी न किसी रूप में मदद कर रहे थे। इनमें से कुछ के खिलाफ विडियो फुटेज भी मिली हैं, जिनमें साफ दिख रहा है कि अधिकारी किस तरह खुलेआम नेताओं की मदद कर रहे हैं। इन सभी अधिकारियों के संबंधित विभागों के हेड को इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

दै0 नवभारत टाइम्स, लखनऊ 16 APR 2024

समाचार पत्र का नाम ..... दिनांक .....

आम चुनावों के इतिहास में सबसे अधिक ज़ब्ती

■ एनबीटी ब्यूरो, नई दिल्ली

: चुनाव आयोग ने सोमवार को बताया कि उसने लोकसभा चुनाव के 75 साल के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक जब्ती की

है। इस बार के चुनाव में 1 मार्च से 13 अप्रैल तक देश के 36 राज्यों से 4,658 करोड़ रुपये के तमाम तरह के आइटमों की जब्ती की गई। यह जब्ती 2019 में पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान जब्त 3,475 करोड़ रुपये से भी अधिक है। इस जब्ती में 395 करोड़ रुपये नकद, 489 करोड़ रुपये की शराब, 2,068 करोड़ रुपये की ड्रग्स, 562 करोड़ रुपये के सोना-चांदी जैसे मेटल और 1142 करोड़ रुपये के उपहार जब्त किए गए है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ
16 APR 2024
दै0 राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ
समाचार पत्र का नाम ..... दिनांक .....

100 करोड़ की जब्ती हर रोज

- अब तक 4,650 करोड़ रुपए मूल्य की जब्ती, 45 प्रतिशत मादक पदार्थ
- जब्ती 2019 के लोकसभा चुनाव से बहुत अधिक

नई दिल्ली (एसएनबी)। चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अधिकारियों ने नकदी, मादक पदार्थ और शराब सहित कुल 4,650 करोड़ रुपये मूल्य की जब्ती की है। कुल जब्ती में 45 प्रतिशत हिस्सेदारी मादक पदार्थों की है। समझा जाता है कि चुनाव में जब्त धन और मादक पदार्थों का उपयोग मतदाताओं को लुभाने के लिए किया जाता है। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव प्रचार में राजनीतिक नेताओं की मदद करते पाये गये करीब 106 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ उसने कड़ी कार्रवाई की है।

आयोग ने एक बयान में कहा है कि एक मार्च से अब तक जब्त की गयी कि नकदी और अन्य सामग्री वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब्त किये गए 3,475 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गयी है। आयोग ने 16 मार्च को सात चरणों में लोकसभा चुनाव कराने की घोषणा की थी। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को और अंतिम चरण का मतदान एक जून को होना है। आयोग ने कहा कि अधिकारियों ने एक मार्च से प्रतिदिन 100 करोड़ रुपये मूल्य की जब्ती की है। कुल 4,658 करोड़ रुपये मूल्य की जब्ती में 395 करोड़ रुपये नकद, 489 करोड़ रुपये से अधिक की शराब और 2,069 करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थ शामिल हैं।

आयोग ने कहा कि राजनीतिक वित्तपोषण के अलावा काले धन का इस्तेमाल, समान अवसर को प्रभावित कर सकता है। यह जब्ती, प्रलोभन और कदाचार मुक्त लोकसभा चुनाव कराने तथा समान अवसर सुनिश्चित करने के उसके संकल्प का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछले कुछ वर्षों में गुजरात, पंजाब, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में चुनावों के दौरान बड़ी मात्रा में जब्ती की गयी है। आयोग ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने पिछले महीने आम चुनाव की घोषणा करते हुए धन बल को एक प्रमुख चुनौती बताया था। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव प्रचार में राजनीतिक नेताओं की मदद करते पाये गये करीब 106 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ उसने कड़ी कार्रवाई की है।

जम्मू में चुनाव से पहले चार करोड़ नकदी, शराब जब्त

जम्मू (भाषा)। लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में अधिकारियों ने चार करोड़ रुपये मूल्य से अधिक की नकदी, शराब, मादक पदार्थ और अन्य चीजें जब्त की है। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में 1.2 करोड़ रुपये की नकदी, 63 लाख रुपये की शराब, 2.35 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ और 5.59 लाख रुपये के अन्य सामान जब्त किए गए। आयोग के मुताबिक, 'जम्मू-कश्मीर में कुल 4.2 करोड़ रुपये मूल्य की जब्ती हुई है।'

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

दै0 आज, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ..... दिनांक 2024

हर दिन 100 करोड़ जब्त कर रहा है चुनाव आयोग

नयी दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को बताया कि उनके अधिकारी एक मार्च से प्रतिदिन 100 करोड़ रुपये जब्त कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अधिकारियों ने नकदी, मादक पदार्थ और शराब सहित कुल 4,650 करोड़ रुपये मूल्य की जब्ती की है। कुल जब्ती में 45 प्रतिशत हिस्सेदारी मादक पदार्थों की है।आयोग ने कहा कि एक मार्च से की गई जब्ती, 2019 के संसदीय चुनाव के दौरान जब्त किये गए 3,475 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गई है।चुनाव आयोग ने 16 मार्च को सात चरणों में लोकसभा चुनाव कराने की घोषणा की थी। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को और अंतिम चरण का मतदान एक जून को होना है।आयोग ने कहा कि

मतदान से पहले जब्त किए 4650 करोड़

अधिकारियों ने एक मार्च से प्रतिदिन 100 करोड़ रुपये मूल्य की जब्ती की है। अब तक कुल 4,658 करोड़ रुपये मूल्य की जब्ती में 395 करोड़ रुपये नकद, 489 करोड़ रुपये से अधिक की शराब और 2,069 करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थ शामिल हैं। आयोग ने कहा कि राजनीतिक वित्तपोषण के अलावा काले धन का इस्तेमाल, समान अवसर को प्रभावित कर सकता है। यह जब्ती, प्रलोभन और कदाचार मुक्त लोकसभा चुनाव कराने तथा समान अवसर सुनिश्चित करने के उसके संकल्प का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।पिछले कुछ वर्षों में गुजरात, पंजाब, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में चुनावों के दौरान बड़ी मात्रा में जब्ती की गई है।आयोग ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने पिछले महीने आम चुनाव की घोषणा करते हुए धन बल को एक प्रमुख चुनौती बताया था। निर्वाचन आयोग ने कहा कि चुनाव प्रचार में राजनीतिक नेताओं की मदद करते पाये गए करीब 106 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ उसने कड़ी कार्रवाई की है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ
16 APR 2024
समाचार पत्र का नाम दै० पॉयनियर, लखनऊ दिनांक

EC's crackdown on money power, ₹5,000 crore seized

RAJESH KUMAR ■ NEW DELHI

With the 'mystery' and 'controversy' over the Electoral Bonds yet to settle, the flow of 'unaccounted' money of about ₹5,000 crore by the Election Commission in the last one and a half months has raised eyebrows.

In a move to crackdown on black money in form of cash, liquor, drugs, precious metals and freebies supply ahead of the first phase of polling for the 102 Lok Sabha seats on April 19, the poll watchdog has seized ₹4658.167 crore since March 1.

So on an average the poll watchdog has seized ₹100 crore per day. What is more concerning is the seizure of drugs worth ₹2,069 crore during this period.

Out of the total recoveries worth ₹4,658 crore, freebies and other items stand at over ₹1142.49 crore, the cash component stands at over ₹395.39 crore, while liquor stands at more than ₹489.31 crore.

Significantly, 45 per cent of the seizures are of drugs (₹2,069 crore).

Data shared by the EC showed that authorities have been making seizures worth ₹100 crore every day since March 1. The EC said the seizures made since March 1 exceed the over ₹3,475 crore recovered during the 2019 parliamentary polls.

If the amount of January and February which stood at ₹7,502 crore added to this will bring the total seizure to over ₹12,000 crore so far. Meanwhile, the EC has ordered the removal of the Deputy Inspector General of Police (DIG) of Murshidabad in West Bengal over violence in the district and the officer's alleged "lack of supervision" to immediately prevent more incidents, according to sources.

With over ₹778.52 crore, Rajasthan is top in the list, followed by Gujarat (₹605.33 crore), Tamil Nadu (₹460.84 crore), Maharashtra (₹431.34 crore), Punjab (₹311. 84 crore), Kerala (₹281. 43 crore) Delhi (₹236.06 crore), West Bengal (₹219.60 crore), and Bihar (₹155. 76 crore) are among the top in the seizures list.

Karnataka, West Bengal and Rajasthan are among the top in distributing liquor to voters during polls.

Significantly, 45 per cent of the seizures are of drugs and narcotics that are under the special focus of the commission. Notably, there was a substantial focus on drug seizures, which accounted for approximately 75 per cent of the total seizures in January and February 2024.

According to the EC, drug seizures accounted for approximately 75 per cent of the total seizures in January and February this year with the poll panel focussing on the menace much before the poll schedule was announced. Over the past few years, significant seizures have been made during elections to state assemblies in Gujarat, Punjab, Manipur, Nagaland, Tripura, and Mizoram.

In an incident in Nilgiris, Tamil Nadu, the commission suspended the flying squad leader for laxity in duty and selective checking of a cavalcade of a prominent leader.

Similarly, officials checked vehicles in the convoy of the Chime Minister of a State and also vehicles of a Deputy Chief Minister in another State. The commission has also taken strict action against approximately 106 Government servants who have been found assisting politicians in campaigning, thereby violating the Model Code of Conduct and instructions.

"The seizures have been possible by comprehensive planning, scaled up collaboration and unified deterrence action from agencies, proactive citizen participation and optimal engagement of technology. The commission has also collaborated with the Directorate General of the Narcotics Control Bureau and its senior officials to identify key routes and corridors for drug trafficking and ensure effective counter measures are in place," the EC said in a statement.

Chief Election Commissioner Rajiv Kumar, while announcing the polls last month, had underlined money power as one of the '4M' challenges, the poll authority recalled.

The poll panel pointed out that it has been taking action to ensure level playing field such as checking vehicles of prominent leaders and even removing officials for laxity in carrying out their mandate. The commission, it said, has also taken strict action against nearly 106 Government servants who were found assisting politicians in campaigning, which is against various rules and ethics.

The EC sources also pointed out that there is "nothing new" in search of helicopters, as was done in case of TMC leader Abhishek Banerjee.

'In the run-up to the polls, all district magistrates and superintendents of police were told to keep a strict watch on airfields and helipads. Such searches are taking place in airfields, both public and private, across the country to ensure inducements are not ferried by air, the sources said.

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ....दै0 हिन्दुस्तान टाइम्स, लखनऊ.... दिनांक 16 APR 2024

{ PRE-POLL CRACKDOWN } CASH SEIZURE UP 117%

Even before first phase of polling, EC seizures hit ₹4,650 cr, 34% higher than entire 2019 elections

Vrinda Tulsian

letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Election Commission of India (EC) announced on Monday record seizures of inducements in the run-up to the 2024 Lok Sabha elections, with a staggering ₹4,650 crore recovered in cash, drugs, liquor, precious metals and freebies between March 1 and April 13, which came to about 34% higher than the ₹3,475 crore value of materials seized during the entirety of the 2019 election campaign.

RAJASTHAN HAD THE HIGHEST SEIZURES OF ALL STATES AND UTs, AT ₹778 CRORE

Compared to seizures made in the corresponding period of the 2019 Lok Sabha elections, the current seizures represent a significant increase across all categories: cash saw a 114% rise, while liquor and precious metal seizures increased by 61% and 43%, respectively.

The most substantial increase, by value, was in drug seizures, which skyrocketed by 62% to ₹2,068 crore being recovered by enforcement agencies.

Rajasthan recorded the highest seizures among all states and Union territories, with a total of ₹778 crore, followed by Gujarat at ₹605 crore, and Tamil Nadu with ₹460 crore.

Among the seized items, drugs had the highest value in Gujarat (₹485 crore), while freebies were the most seized in Rajasthan (₹533 crore). →PTI

Record ₹4.6k-cr inducements seized ahead of polls, says EC

Vrinda Tulsian

letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Election Commission of India (ECI) announced on Monday record seizures of inducements in the run-up to the Lok Sabha elections, with a staggering ₹4,650 crore recovered in cash, drugs, liquor, precious metals and freebies between March 1 and April 13, which came to be about 34% higher than the ₹3,475 crore value of materials seized during the entirety of the 2019 election campaign.

Compared to seizures made in the corresponding period of the 2019 Lok Sabha elections, the current seizures represent a significant increase across all categories: cash saw a 114% rise, while liquor and precious metal seizures increased by 61% and 43%, respectively. The most substantial increase, by value, was in drug seizures, which skyrocketed by 62% to ₹2,068 crore being recovered by enforcement agencies.

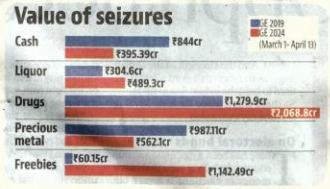

"Enforcement agencies have made a record seizure of over ₹4,650 crores in ECI's resolute fight against money power even before the first phase of polling for the 18th Lok Sabha elections commences on Friday," the panel said in a press note.

The commission attributed the increase in enforcement to deployment of advanced technology, such as the Election Seizure Management System (ESMS), and the collaboration of multiple enforcement agencies at both the central and state levels.

It marked 123 Parliamentary Constituencies as Expenditure Sensitive Constituencies for more focused vigilance and deployed 781 expenditure observers to monitor these constituencies, and also said it has taken "strict action" against 106 government servants who were found "assisting politicians in campaigning" in violation of the Model Code of Conduct (MCC).

"The seizures reflect ECI's unwavering commitment to monitor inducements and curb electoral malpractices for a 'level playing field', particularly in favour of smaller and less resourceful parties," the statement quoted chief election commissioner Rajiv Kumar as saying.

The poll body said vigilance efforts were underway earlier in the year, and countrywide seizures in January and February totalled another ₹7,502 crore in cash, liquor, drugs, precious metals and freebies. "This brings total seizure to over ₹12,000 crores so far with six weeks still left in the election period."

Rajasthan recorded the highest seizures among all states and Union territories, with a total of ₹778 crore, followed by Gujarat at ₹605 crore, and Tamil Nadu at ₹460 crore. Among the seized items, drugs had the highest value in Gujarat (₹485 crore), while freebies were the most seized in Rajasthan (₹533 crores).

Punjab recorded seizures totalling ₹311.84 crores, with drugs constituting a significant 90.04% of the seized items.

By value, drugs were the single-largest component at 45% of the ₹4,650 crore worth inducements recovered. Freebies made up for the next highest recoveries by value at ₹1,142 crore.

Like this time, drugs accounted for the most value, (₹1,280 crore) in the seizures during the corresponding period of the 2019 election campaign, but the second highest amount was in seized cash (₹844 crore). Freebies accounted for a scant ₹60 crore in the 2019 elections.

The authority said it is also focusing on drug-related seizures. "There was a substantial focus on drug seizures, which accounted for approximately 75% of the total seizures in January and February 2024," the press note said.

Kumar said the commission had stressed on the strict compliance of civil aviation security rules on surveillance and inspection of "non-scheduled aircrafts" – these are helicopters and private jets – by Income Tax, airport authorities, police chiefs of the districts concerned, border agencies and GST authorities.

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै० हिन्दुस्तान टाइम्स, लखनऊ दिनांक 16 APR 2024

BAN ON CASTE-BASED RALLIES: HC SEEKS REPORT ON NOTICES SERVED TO FOUR POLITICAL PARTIES

HT Correspondent
letters@htlive.com

LUCKNOW : The Lucknow bench of the Allahabad high court sought fresh service report from its office by April 29 on the notices issued to four political parties earlier on a plea related to the ban on caste-based rallies.

The order was passed by a division bench comprising Justice Rajan Roy and Justice Om Prakash Shukla on April 10, in response to a public interest litigation (PIL) filed by a local lawyer Moti Lal Yadav in 2013. The petitioner sought directives from the court to the Election Commission of India (ECI) to derecognise political parties that hold caste-based rallies. On March 18, 2024, the court issued fresh notices to the four political parties - the BJP, the SP, the BSP, and the Congress. It also granted last opportunity to the counsel of Union of India to file the reply, if any, as the plea was pending since 2013 and no reply was filed by central government till now. The petitioner had alleged in the PIL that caste-based rallies created a toxic atmosphere among the public. Hence such rallies should be totally banned, especially at the time of election, the counsel had requested the court.

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दे0 हिन्दुस्तान टाइम्स, लखनऊ दिनांक 16 APR 2024

Samajwadi Party's Aditya, Akshay file papers; Dimple's turn today

HT Correspondent
letters@htlive.com

LUCKNOW : Samajwadi Party (SP) candidates, Aditya Yadav and Akshay Yadav on Monday, filed their nomination papers from the Budaun and Firozabad Lok Sabha seats, respectively. Dimple Yadav, the sitting Mainpuri MP is set to file her nomination on Tuesday.

Aditya, who replaced his father Shivpal Yadav on this seat as the SP candidate, filed papers in the presence of former Badaun MP Dharmendra Yadav, SP MLA Ram Khiladi Singh Yadav and party's district president Ashish Yadav.

Earlier, he visited several temples, including Biru Abadi temple of Lord Shiva and Nagla temple, and prayed for his victory. He also went to Chhote Sarker ki Dargah.

Speaking to the media, Aditya said people had expressed faith in the Samajwadi Party and this time the party will emerge victorious from Buduan.

Aditya Yadav and (right) Akshay Yadav filed their nomination papers on Monday. HT

Asked about the 2019 polls in which the SP was defeated by the BJP, he said at that time there were "many doubts and questions" on the polls, but this time everyone will ensure BJP's defeat. The Buduan seat is currently held by BJP's Sanghmitra Maurya, who defeated SP's Dharmedra Yadav in 2019. But the BJP denied Sanghmitra ticket this time and fielded Durvijay Singh Shakya. Former Firozabad MP and another cousin of SP chief Akhilesh Yadav, Akshay Yadav, too filed his nomination from the Firozabad seat. He was accompanied by his father and chief national general secretary of SP, Ram Gopal Yadav.

After filing his papers, Akshay said: "I have filed my nomination from Firozabad. We are contesting this election for the employment of youth, development of the area and the Indian Constitution." He also addressed a public meeting thereafter.

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 इण्डियन एक्सप्रेस, लखनऊ दिनांक 16 APR 2024

Shivpal's son Aditya files nomination from Baduan

Badaun: SP candidate Aditya Yadav on Monday filed his nomination papers from the Buduan Lok Sabha seat. Aditya, who replaced his father Shivpal Yadav on this seat as the SP candidate, filed the nomination papers in presence of former MP Dharmendra Yadav, SP MLA Ram Khiladi Singh Yadav and district president Ashish Yadav.

Before filing his nominations, Aditya visited several temples and Chhote Sarker ki Dargah.

Talking to reporters, Aditya said that people have expressed faith in the Samajwadi Party and this time the party will win from the seat. **PTI**

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दैनिक जागरण लखनऊ दिनांक 16 APR 2024

एक ही पोलिंग पार्टियां कराएंगी दोनों चुनाव

- लोस व विस उपचुनाव कराने के लिए मास्टर ट्रेनर्स देंगे मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण
- 20 मई को लखनऊ में होने वाले चुनाव के लिए प्रशिक्षित किए जा रहे बीस हजार कार्मिक

जासं • लखनऊ : 20 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ पूर्वी विधानसभा का उपचुनाव भी होना है। लखनऊ में जो पोलिंग पार्टियां लोकसभा चुनाव कराएंगी उनको ही उपचुनाव भी कराना होगा। उपचुनाव के लिए अलग से पोलिंग पार्टियां नहीं होंगी। दो चुनाव एक साथ कराने के लिए कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। 29 अप्रैल को मतदान कार्मिकों की प्रथम ट्रेनिंग केकेसी कालेज में कराई जाएगी।

सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लेकर बैठक की। इस दौरान मास्टर ट्रेनर्स को ईवीएम तथा वीवीपैट का प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद मास्टर ट्रेनर्स सभी कार्मिकों को स्मार्ट बोर्ड पर ट्रेनिंग देंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मास्टर ट्रेनर्स को बताया की प्रशिक्षण में मतदान कार्मिकों को सबसे पहले पोलिंग पार्टी रवानगी में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। स्थल और ईवीएम जमा करने वाले स्थल के लेआउट के बारे कार्मिकों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक करते जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार • प्रतासन

चुनाव कार्मिकों की सुविधा के लिए विधानसभावार सेक्टर मजिस्ट्रेट वाट्सएप ग्रुप भी बनाए जाएंगे ताकि किसी तरह की समस्या का तत्काल निस्तारण कराया जा सके।

जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक तृतीय रेंडमाइजेशन (जो की पोलिंग पार्टी रवानगी से 48 घंटे पहले होता है) के बाद मतदान कार्मिकों को एसएमएस के माध्यम से पोलिंग सेंटर, बूथ, पोलिंग पार्टी में उपस्थित मतदान कार्मिकों का विवरण और सेक्टर मजिस्ट्रेट का विवरण उपलब्ध करा दिया जाएगा। छह प्रकार के लिफाफों के सेट में मतदान सामग्री रख कर जमा की जाएगी। इस ट्रेनिंग के बाद मास्टर ट्रेनर्स को पीठासीन अधिकारियों तथा मतदान कार्मिकों को ट्रेनिंग देनी है। डीएम ने अफसरों को सख्त निर्देश दिया कि प्रशिक्षण के दौरान कोई भी कार्मिक बिना सूचना अनुपस्थित नहीं होगा।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 हिन्दुस्तान, लखनऊ दिनांक 16 APR 2024

मोदी 13-14 को कर सकते हैं नामांकन

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में 'अबकी बार 400 पार' का लक्ष्य बेधने के लिए देशभर में लगातार सभाएं और रोड-शो कर रहे हैं, वहीं भाजपा उनके नामांकन की तैयारी में जुट गई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार मोदी 13 या 14 मई को वाराणसी सीट से पर्चा दाखिल कर सकते हैं। वह नामांकन के लिए 13 मई को ही बनारस आ सकते हैं।

यह संकेत भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने यह संकेत दिया। सूत्रों ने बताया कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी प्रधानमंत्री का रोड शो होगा। अगले दिन बाबा विश्वनाथ और गंगा से आशीर्वाद लेकर नामांकन करेंगे। वैसे इस संबंध में पार्टी नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन नामांकन की तैयारी के तहत अधिवक्ताओं का पैनल विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने में जुट गया है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ
दै0 हिन्दुस्तान, लखनऊ
समाचार पत्र का नाम ..... दिनांक .....

सजगता | जिस बूथ पर एक प्रत्याशी को 75 फीसदी वोट मिले वह संवेदनशील होगा, जिन बूथों पर 95 फीसदी से ज्यादा मतदान हुए वह संवेदनशील श्रेणी में शामिल

राजधानी के ज्यादा मतदान वाले बूथ भी संवेदनशील की श्रेणी में

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। संवेदनशील, अति संवेदनशील और अति संवेदनशील प्लस बूथ और इलाके चिह्नित करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। जहां पिछले चुनाव में ज्यादा मतदान हुआ, ऐसे बूथ भी शक की निगाह में आ गए हैं। इन बूथों का ब्योरा लोकल इंटेलिजेंस यूनिट निकाल रही है।

लखनऊ और मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में जिला प्रशासन ने 380 संवेदनशील, अति संवेदनशील और अति संवेदनशील प्लस बूथ चिह्नित किए गए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस संयुक्त रूप से अपनी रिपोर्ट तैयार कर जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपेंगे। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार जिन बूथों पर मतदान 95 फीसदी से अधिक हुआ हो उनको इस सूची में शामिल किया गया है। एक ही प्रत्याशी को जहां 75% से ज्यादा मत मिले हैं, वे भी इस श्रेणी में आते हैं।

संवेदनशील मतदान केन्द्रों की सीसी कैमरों से लाइव निगरानी तो होगी ही, वीडियोग्राफी भी होगी।

380 संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथ लखनऊ में तय किए

300 संवेदनशील बूथ थे पिछले लोकसभा चुनाव में

पिछले लोकसभा चुनावों में संवेदनशील बूथों की संख्या 300 थी। इनमें 174 अति संवेदनशील थे। बीकेटी में 29, मलिहाबाद में 18, सरोजनीनगर में 29, लखनऊ पश्चिम में 23, लखनऊ उत्तर में 18, लखनऊ पूर्व में दो, लखनऊ मध्य में 31, लखनऊ कैंट में 11 थे।

मतदान कर्मियों को वॉट्सअप पर मिलेगी जानकारी

पीठासीन अधिकारी से लेकर मतदान अधिकारियों तक को वाट्सअप ग्रुप पर जरूरी सूचनाएं मिलेंगी। पोलिंग पार्टी रवानगी से लेकर केन्द्र तक पहुंचने के बीच कोई भ्रम की स्थिति न हो इसके लिए यह व्यवस्था की जा रही है। साथ ही कोई दिक्कत होने पर तुरंत संबंधित कर्मचारी ग्रुप पर साझा कर सकेंगे। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण में जिलाधिकारी ने यह बताया। जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार ने बताया कि विधान सभा क्षेत्र और सेक्टर मजिस्ट्रेट के स्तर पर वाट्सअप ग्रुप बनाए जाएंगे। मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण के दौरान सबसे पहले मतदान के लिए तैनात कर्मचारियों को मूलभूत जानकारियां देंगे।

छह लिफाफों में जमा की जाएगी मतदान सामग्री

जिलाधिकारी ने बताया कि छह तरह के लिफाफों के सेट में कर्मचारियों को मतदान सामग्री रख कर जमा करनी होगी। मास्टर ट्रेनर जब पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण देंगे, तो इस बारे में विस्तार से बताएंगे। यह भी बताएंगे कि कौन से लिफाफे में क्या प्रपत्र रखे जाएंगे।

लखनऊ पूर्व में दो चुनाव

प्रशिक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि 173 लखनऊ पूर्व विधान सभा क्षेत्र में दो चुनाव हो रहे हैं। यहां तैनात कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव के साथ विधान सभा का उप चुनाव भी कराना होगा। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

मिलेगी जानकारी

अब 29 अप्रैल को केकेसी में मास्टर ट्रेनर मतदान कराने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे। बारीकियां उनको बताई जाएंगी। जैसे मतदान की गोपनीयता भंग न हो। ईवीएम, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट सही से जुड़ी हैं या नहीं बताएंगे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

16 APR 202

दै0 हिन्दुस्तान, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ..... दिनांक .....

आज का फोटो | मैराथन से मतदान करने का संदेश

लोकसभा चुनाव की मतदान तिथियों के नजदीक आने के साथ ही सरगर्मी भी तेज हो गई है। लोगों की चुनाव में भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग और प्रशासन ने कई पहल की हैं। इस कड़ी में कहीं नुक्कड़ नाटक का आयोजन हो रहा है तो कहीं रैली निकालकर जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। नागपुर में इसके लिए सोमवार को मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। ● एएनआई

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 नवभारत टाइम्स, लखनऊ दिनांक 16 APR 2024

30 साल बाद चुनाव ड्यूटी करेंगे ऐडेड स्कूलों के 1800 शिक्षक

जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से निर्देश जारी

■ एनबीटी, लखनऊ

लोकसभा चुनाव में लखनऊ के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के लगभग 1800 शिक्षक भी ड्यूटी करेंगे। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी कर दिये हैं। हालांकि प्रदेश भर के शिक्षकों की चुनाव में ड्यूटी लगाई जाती रही है, पर बीते 30 साल में पहली बार लखनऊ के शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है।

20 मई को राजधानी में होने वाले मतदान को लेकर जिला स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव में कर्मचारियों की संख्या कम न पड़े इसके लिए अनुदानित विद्यालयों के शिक्षकों की भी ड्यूटी लगाई गई है। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. आरपी मिश्र ने बताया कि पिछले 30 वर्षों से लखनऊ के शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में नहीं लग रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वेतन ग्रांट के तौर पर मिलने और सरकारी नौकरी नहीं होने से ऐडेड विद्यालयों के शिक्षकों को चुनाव में प्रचार-प्रसार करने, एजेंट बनने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। हालांकि, अंतिम विकल्प के तौर पर शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा सकती है। पिछले नगर निगम चुनाव में 800 कर्मचारी पड़ गए थे, जिसके बाद शिक्षकों को उन्नाव जिले से बुलाना पड़ा था। इसी के चलते शिक्षकों की ड्यूटी लगी है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 नवभारत टाइम्स, लखनऊ दिनांक 16 APR 2024

भाजपा प्रत्याशी ने किया नामांकन

बरेली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार छत्रपाल गंगवार सोमवार को बड़ा जुलूस निकालकर अपना नामांकन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। नामांकन के दौरान जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सांसद संतोष गंगवार, मेयर उमेश गौतम और विधायक संजीव अग्रवाल मौजूद रहे।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दैनिक जागरण, लखनऊ दिनांक 16 APR 2024

171 आपराधिक रेकॉर्ड वालों के पास निकले शस्त्र लाइसेंस

जेसीपी एलओ कार्यालय से शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के लिए डीएम को भेजी गई रिपोर्ट

Gyaneshwar.prasad
@timesgroup.com

लोकसभा चुनाव से पहले CCTNS के जरिए पहली बार ब्योरा खंगाल रही पुलिस

लाइसेंसी शस्त्रों की चेकिंग का ब्योरा

जोन	शस्त्र धारक	CCTNS रिकॉर्ड	आपराधिक इतिहास मिला	डीएम को रिपोर्ट
पूर्वी	4642	3710	29	23
पश्चिमी	12146	7010	138	77
उत्तरी	7679	6058	35	33
दक्षिणी	6097	3039	30	14
मध्य	8886	5162	57	24

(सरकारी कर्मचारियों और जिले से बाहर रहने वालों को छोड़कर। आंकड़े 11 अप्रैल तक के हैं)

लखनऊ : सुरक्षा का हवाला देकर शस्त्र लाइसेंस हासिल करने वालों की जब CCTNS (क्राइम ऐंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क ऐंड सिस्टम) से जब कुंडली खंगाली गई तो कई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी सामने आए हैं। आपराधिक रेकॉर्ड सामने आने के बाद जेसीपी एलओ कार्यालय से 171 ऐसे शस्त्रधारकों को चिह्नित किया गया है, जिनके नाम आपराधिक रेकॉर्ड दर्ज हैं। पुलिस की ओर से डीएम को भेजी गई रिपोर्ट में ऐसे लोगों को चुनाव में घातक बताते हुए इनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के लिए कहा गया है।

लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए पुलिस अपराधियों की नकेल कसने में जुटी है। इसके साथ ही लाइसेंसी शस्त्र धारकों के असलहे जमा करवाने के साथ ही उनका आपराधिक रेकॉर्ड भी जांचा जा रहा है। जेसीपी एलओ उपेंद्र अग्रवाल ने बताया कि पहली बार लाइसेंसी शस्त्र धारकों का क्राइम रेकॉर्ड खंगालने के लिए CCTNS की मदद ली गई है। अब तक 171 लोग ऐसे पाए गए हैं, जिनके विरुद्ध गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। इसके बावजूद उनके नाम शस्त्र लाइसेंस हैं। ऐसे लोग लाइसेंसी शस्त्र का दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के लिए डीएम कार्यालय को रिपोर्ट भेजी गई है।

शस्त्र धारकों को जारी होगी नोटिस

पुलिस की ओर से शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट मिलने के बाद डीएम की ओर से एक कमिटी गठित की गई है। कमिटी की ओर से शस्त्र लाइसेंस धारक को एक नोटिस भेजकर उससे जवाब मांगा जाएगा कि क्यों न आपका शस्त्र लाइसेंस कर दिया जाएगा। कमिटी के समक्ष उसे जवाब दाखिल करने का मौका दिया जाएगा। आपराधिक प्रवृत्ति का होने के बावजूद शस्त्र लाइसेंस रखने की वजिव वजह पूछी जाएगी। कमिटी अगर जवाब से संतुष्ट नहीं होती है और शस्त्र लाइसेंस धारक को उसकी सुरक्षा के लिए असलहे की जरूरत नजर नहीं आती है तो उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट कमिटी डीएम को भेजेगी। डीएम की ओर से उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।

मुकदमों में चार्जशीट दाखिल, फिर भी शस्त्र लाइसेंस

CCTNS के रेकॉर्ड से सामने आया है कि ऐसे लोगों के नाम शस्त्र लाइसेंस हैं, जिनके खिलाफ विभिन्न मुकदमों में कोर्ट में चार्जशीट तक दाखिल हो चुकी है। अनीराबुर्द निवासी कुलदीप, आलमबाग निवासी मुस्तकीम, आशियाना निवासी मुकेश और इसी इलाके के रहने वाले राहुल समेत कई शस्त्र धारकों के खिलाफ दर्ज मुकदमों में चार्जशीट हो चुकी है। पुलिस की ओर से ऐसे 171 लोगों को चिह्नित कर उन पर दर्ज मुकदमे, उसकी प्रगति और पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई का ब्योरा जिला प्रशासन को भेजा गया है। इसके साथ ही उन लोगों का ब्योरा भी भेजा गया है, जिन्होंने मामूली बात पर शस्त्र लाइसेंस का दुरुपयोग किया और उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ई0 राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ दिनांक 16 APR 2024

घरों से निकल कर पहले करें मतदान

लखनऊ (एसएनबी)। कालीचरण इण्टर कालेज में भारत रत्न बाबा साहब डा. भीमराव अंबेडकर की 133वी जयंती पखवारे के रूप में मनाते हुए शिक्षक/शिक्षिकाओं और छात्र/छात्राओं ने बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित किए और विद्यालय के शारीरिक शिक्षक सोमेश कुमार ने जयंती के अवसर पर बाबा साहब के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला और सभी से अपील करते हुए मतदाता जागरूकता के अंतर्गत बताया कि हम सभी को संविधान ने वोट का अधिकार दिया है। हम सभी आने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान के दिन प्रातः काल ही घरों से निकल कर पहले मतदान करें। उसके बाद जलपान करें। परिवार या आसपास का कोई भी व्यक्ति वोट देने से न छूटे, इसके लिए सभी को जागरूक करें। अंत में उन्होंने कहा हम सभी राष्ट्रहित में मतदान अवश्य करें।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ दिनांक 16 APR 2024

पूर्वी विधान सभा में दो मतदान कराएंगे कार्मिक

लखनऊ (एसएनबी)। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी लखनऊ सूर्य पाल गंगवार के द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए मास्टर ट्रेनर्स को ईवीएम तथा वीवी पैट प्रशिक्षण एवं सामान्य प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग कराई गई। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि 173 लखनऊ पूर्वी विधानसभा में जिन कार्मिकों की ड्यूटी होगी उनको दो मतदान कराने होंगे। एक विधानसभा उप निर्वाचन और एक लोकसभा का। जिसके लिए कार्मिकों को अलग से ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी मास्टर ट्रेनर्स कार्मिकों को स्मार्ट बोर्ड पर पीपीटी के माध्यम से ट्रेनिंग देंगे। जिसके लिए केकेसी इंटर कॉलेज के सभी कमरों में स्मार्ट बोर्ड लगवाए जा रहे है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने मास्टर ट्रेनर्स को बताया गया कि आप अपने प्रशिक्षण में मतदान कार्मिकों को सबसे पहले पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल और ईवीएम जमा करने वाले स्थल के लेआउट के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जिसके लिए दोनों स्थलों का लेआउट बना लिया गया है। लेआउट के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मास्टर ट्रेनर्स को बताया गया कि किन-किन स्थलो पर कौन कौन सी विधानसभा के स्टाल, खान पान के स्टाल और कहां से उनको पोलिंग स्टेशन पर जाने के लिए बस मिलेगी।

लोक सभा के साथ विधान सभा का उपचुनाव भी होगा

ट्रेनिंग के लिए केकेसी में स्मार्ट बोर्ड लगाये जाएंगे

दोनो स्थलो के लेआउट ए- 4 साइज में प्रिंट कर कर कार्मिकों को भी उपलब्ध कराए जाएंगे। उक्त के साथ ही रवानगी स्थल और ईवीएम जमा स्थल पर भी बड़े बैनरों पर लेआउट प्रिंट करा कर लगवाए जाएंगे। विधानसभावार सेक्टर मैजिस्ट्रेटवार व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाए जाएंगे ताकि जानकारी निस्तारण कराया जा सके। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि तृतीय रेंडमाइजेशन (जो की पोलिंग पार्टी रवानगी से 48 घंटे पहले होता है) के बाद मतदान कार्मिकों को एसएमएस के माध्यम से पोलिंग सेंटर, बूथ, पोलिंग पार्टी में उपस्थित मतदान कार्मिकों का विवरण और सेक्टर मैजिस्ट्रेट का विवरण उपलब्ध करा दिया जाएगा। 6 प्रकार के लिफाफों के सेट में मतदान सामग्री रख कर जमा की जाएगी। 6 प्रकार के लिफाफों के कलरवार सेट होंगे। कौन कौन से लिफाफों में कौन कौन से प्रपत्र रखे जाएंगे इसके बारे में बताया गया।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस ट्रेनिंग के बाद इन मास्टर ट्रेनर्स को पीठासीन अधिकारियों तथा मतदान कार्मिकों को ट्रेनिंग देनी है। सभी ट्रेनर्स को गहन ट्रेनिंग दी गई।

ईवीएम, सीयू,पीयू और वीवी पैट के सभी कनेक्शन सही से कनेक्टेड है अथवा नही। वीवी पैट में यह सुनिश्चित किया जाए के मॉक पोल की कोई पर्ची वीवी पैट में तो नही रह गई है। वीवी पैट मशीन को सील कर दिया जाएगा और मतदान शुरू किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी ट्रेनर्स को सभी फार्म के प्रारूपों से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया की पीठासीन अधिकारियों सुविधा के लिए निर्वाचन में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के फार्म के प्रारूपो की एक बुकलेट बना कर दी जाएगी ताकि फर्मों को भरने और व्यवस्थित करने में कोई असुविधा न हो। सामान्य प्रशिक्षण के बाद उपस्थित सभी मास्टर ट्रेनर्स को ईवीएम और वीवी पैट की हैंड्स आन ट्रेनिंग भी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि आगामी 29 अप्रैल को मतदान कार्मिकों की प्रथम ट्रेनिंग 2 पाली में केके सी कालेज में कराई जाएगी। ट्रेनिंग की व्यवस्था केके सी कालेज के 40 कमरों में की गई है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ..... दै0 आज, लखनऊ ..... दिनांक ..... 16 APR 2024

डीएम ने इंटीग्रेटेड कन्ट्रोल रूम का किया निरीक्षण

बहराइच। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ई-डिस्ट्रिक कार्यालय में स्थापित निर्वाचन नियंत्रण कक्ष एवं शिकायत सेल तथा व्यय नियंत्रण कक्ष (इंटीग्रेटेड कन्ट्रोल रूम) का जिलाधिकारी मोनिका रानी ने आकस्मिक निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

इंटीग्रेटेड कन्ट्रोल रूम के निरीक्षण के दौरान डीएम मोनिका रानी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण का जायजा लेते हुए निर्देश दिया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर से प्राप्त संदर्भों व मेरे एवं अन्य स्तरों से प्राप्त संदर्भो को पंजिका में अलग-अलग अंकित किया जाय। उन्होनें यह भी निर्देश दिया कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्धता के साथ गुणवत्तापरक निस्तारण भी सुनिश्चित कराया जाय। डीएम ने निर्देश दिया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर से प्राप्त संदर्भो के निस्तारण की आख्या मुख्य राजस्व अधिकारी के माध्यम से प्रेषित की जाय। उल्लेखनीय है कि जिला निर्वाचन कन्ट्रोल रूम में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बलहा हेतु स्थापित दूरभाष नम्बर का नम्बर 05252-297831, नानपारा का 05252-297832, मटेरा का 05252-297833,महसीका 05252-297834, बहराइच का 05252-297835, पयागपुर का 05252-297836 तथा कैसरगंज का दूरभाष नम्बर 05252-297837 है। इसके अलावा कन्ट्रोल रूम का टोल फ्री नम्बर 1950 है। डीएम ने बताया कि कन्ट्रोल में स्थापित दूरभाष नम्बरों पर आम जनमानस आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन अथवा निर्वाचन से सम्बन्धित अपनी अन्य शिकायतें दर्ज करा सकते है अथवा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रभारी अधिकारी कन्ट्रोल रूम/मुख्य राजस्व अधिकारी डॉ देवेन्द्र पाल सिंह मौजूद रहे।

नामांकन के लिए निर्धारित किया गया स्थान

बहराइच। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में इस जनपद के 56-बहराइच (अ.जा) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामनिर्देशन-पत्र प्राप्त करने से लेकर अभ्यर्थिता वापस लेने तक की कार्यवाही सम्पन्न करने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर बहराइच स्थित कक्ष संख्या-02 न्यायालय कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट बहराइच नियत स्थल होगा। यह जानकारी 56-बहराइच (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर/जिलाधिकारी बहराइच मोनिका रानी ने दी है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम दै0 आज, लखनऊ दिनांक 16 APR 2024

माइक्रोआब्ज़र्वर का प्रथम रैण्डमाइज़ेशन सम्पन्न

बहराइच। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से नियुक्त किए गये माइक्रोआब्ज़र्वर का प्रथम रेण्डमाइजेशन जिला निर्वाचन अधिकारी मोनिका रानी की उपस्थितिम में सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक/मुख्य विकास अधिकारी रम्या आर, जिला विकास अधिकारी महेन्द्र कुमार पाण्डेय, पीडी डीआरडीए राज कुमार, उपायुक्त मनरेगा के.डी. गोस्वामी, डीपीआरओ राघवेन्द्र द्विवेदी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी योगेश यादव, सहायक संदीप द्विवेदी व आई.टी. टीम के सदस्य मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नियुक्त किये गये माइक्रो आब्ज़र्वर का प्रशिक्षण 22 अप्रैल 2024 को किसान पी.जी. कालेज में अपरान्ह 03 से 05 बजे तक सम्पन्न होगा।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

दै0 आज, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ..... दिनांक 16 APR 2024

खीरी एवं धौरहरा लोकसभा सीट पर नामांकन 18 अप्रैल से

लखीमपुर खीरी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार चतुर्थ चरण में खीरी और धौरहरा लोकसभा सीट पर 18 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। सोमवार सुबह डीएम महेंद्र बहादुर सिंह एवं एसपी गणेश प्रसाद साहा ने कलेक्ट्रेट में नामांकन प्रक्रिया के संबंध में व्यवस्थाओं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान एडीएम संजय कुमार सिंह, एएसपी नेपाल सिंह एवं एसडीएम सदर श्रद्धा सिंह को व्यवस्थाओं के संबंध में दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी, डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं। 18-अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। डीएम के न्यायालय कक्ष में 28 खीरी संसदीय क्षेत्र और एडीएम के न्यायालय कक्ष में 29-धौरहरा संसदीय क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल होंगे। डीएम-एसपी ने कलेक्ट्रेट परिसर के मुख्य द्वार से लेकर नामांकन स्थल पर लगने वाली बैरिकेडिंग व अन्य व्यवस्थाएं के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्य द्वार से कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। केवल सीमित लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। एसपी गणेश प्रसाद साहा ने एएसपी को सभी बैरियर, चेक प्वाइंटों पर पुलिस की तैनाती के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित होनी है। कलेक्ट्रेट पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। केवल प्रत्याशी, उनके प्रस्तावक निर्धारित संख्या में ही लोग नामांकन स्थल पर प्रवेश कर पाएंगे। मालूम हो कि 28-खीरी सीट के नामांकन डीएम महेंद्र बहादुर सिंह बतौर रिटर्निंग अफसर तो 29-धौरहरा सीट की नामांकन प्रक्रिया मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पूरी कराएंगे। नामांकन पत्र प्राप्त करने की अवधि 18 अप्रैल से शुरू होकर 25 अप्रैल तक चलेगी। 26 अप्रैल को नामांकन की जांच के साथ 29 अप्रैल को नाम वापसी का दिन निर्धारित है। शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले को 24 जोन और 207 सेक्टरों में बांटा है। 2890 बूथ और 1638 मतदान केंद्र बनाए हैं।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (निरीक्षा प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ

दै० आज, लखनऊ

समाचार पत्र का नाम ..... दिनांक 16 APR 2024

बच्चों ने श्रंखला बनाकर मतदान के प्रति किया जागरूक

बाराबंकी। मतदाता जागरूकता अभियान 'स्वीप' अंतर्गत सोमवार सुबह 8 बजे जिलाधिकारी आवास से जेब्रा पार्क तक मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। विभिन्न कॉलेजों से आये करीब 4 हजार छात्र-छात्राओं ने मानव श्रंखला बनाते हुए मतदाता जागरूकता से जुड़े तरह-तरह के आकर्षक स्लोगन लिखी तख्ती लेकर लोगों को मतदान के महत्व के प्रति जागरूक किया। मानव श्रंखला के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येन्द्र कुमार झा, पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी ए. सुदन, डीआईओएस ओपी त्रिपाठी, एसडीएम सदर बिजय कुमार त्रिवेदी, एसडीएम श्वेता मिश्रा, बीएसए संतोष कुमार देव पाण्डेय, जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय प्राचार्य, सीओ सिटी, सीओ सदर, सीओ यातायात सहित अनेक विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों की उपस्थिति में मानव श्रृंखला का भव्य आयोजन किया गया। डीएम श्री झा ने जिला मुख्यालय के विभिन्न इंटर कॉलेज और

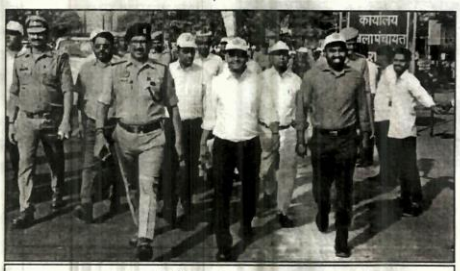

डीएम ने पैदल किया अवलोकन

महाविद्यालय से आये छात्र-छात्राओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए मतदाता जागरूकता अभियान की मानव श्रृंखला का अवलोकन व निरीक्षण किया। नगर के जमील-उर-रहमान किदवई गर्ल्स इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, अजीमुद्दीन अशरफ इस्लामिया इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, मुंशी रघुनंदन प्रसाद सरदार पटेल महिला महाविद्यालय, साईं इंटर कॉलेज, एमबी कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन सहित अनेक कॉलेज के बच्चे मानव श्रृंखला में शामिल रहे। डीएम ने पैदल मानव श्रंखला का अवलोकन किया। एनसीसी, स्काउट गाइड, रोवर रेंजर द्वारा लगाये जा रहे मतदाता जागरूकता के नारों से माहौल सकारात्मक दिखा। इस दौरान आशीष पाठक, तौहीद खान, अनंत कुमार अस्थाना, इकबाल फातिमा, आरएस धीमान, रितु अग्निहोत्री, अभिसारिका वर्मा, राहुल सूर्यवंशी, राजेंद्र त्रिपाठी, रामाधार भारती सहित कई लोग मौजूद रहे।

अब तक लोकसभा चुनावमें 71,000 उम्मीदवारों की जमानत हो चुकी है जब्त

लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू होगा। राजनीतिक पार्टियां जोर-शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हैं और उम्मीदवार अपनी जीत के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पर क्या आपको पता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में 86% उम्मीदवार ऐसे थे, जिनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो आखिर क्या होती है जमानत, कैसे और क्यों जब्त हो जाती है? अब तक कुल कितने उम्मीदवार, लोकसभा चुनाव में अपनी जमानत गंवा बैठे हैं? समझते हैं-आजादी के बाद साल 1951-52 में भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए। तब से लेकर 2019 में हुए आखिरी लोकसभा चुनाव तक 71000 से ज्यादा उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन के डाटा पर नजर डालें तो पता लगता है कि 1951-52 से लेकर 2019 तक के लोकसभा चुनाव में कुल 91,160 कैंडिडेट ने अपनी किस्मत आजमाई, जिसमें से 71,246 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। यानी 78 फीसदी उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा पाए। 1951-52 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में 1874 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, जिसमें से 745 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। यानी करीब 40 प्रतिशत। इसके बाद से जमानत जब्त होने वाले उम्मीदवारों का आंकड़ा बढ़ता गया। 1996 में तो 91 फीसदी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। इससे पहले 1991-92 के चुनाव में भी 86 प्रतिशत उम्मीदवारों की जमाने जब्त हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में महज 14 फीसदी उम्मीदवार अपनी जमानत बचा पाए। 86 फीसदी की जमानत जब्त हुई। जमानत गंवाने वाले उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी के थे। 383 उम्मीदवारों में से 345 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी जिसके 421 उम्मीदवारों में से 148 की जमानत जब्त हुई। इसी तरह सीपीआई के 41 उम्मीदवारों के जमानत जब्त हुई थी।

क्या होती है जमानत?

लोकसभा चुनाव में हर उम्मीदवार को जमानत के तौर पर चुनाव आयोग के पास एक निश्चित राशि जमा करनी होती है। इस राशि को 'जमानत राशि' अथवा सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं। चुनाव आचरण नियम, 1961में इसकी व्यवस्था की गई है।

कितना पैसा जमा करना होता है?

लोकसभा चुनाव के लिए सामान्य कैटेगरी के उम्मीदवारों को 25000 रुपये जमानत राशि जमा करनी होती है। जबकि एससी-एसटी कैंडिडेट को 12500 हजार रुपए देने होते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जमानत राशि जमा करवाने के पीछे मंशा यह है कि चुनाव में गंभीर प्रत्याशी ही उतरें।

कब और क्यों होती है जमानत जब्त?

चुनाव आयोग के मुताबिक यदि किसी उम्मीदवार को चुनाव में कुल वैध वोट का 1/6 हिस्सा यानी 16.67 फीसदी वोट नहीं मिलता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। इस स्थिति में उस उम्मीदवार ने चुनाव आयोग के पास जो जमानत राशि जमा की है, उसे आयोग जब्त कर लेता। यदि किसी कैंडिडेट को 16.67 प्रतिशत से ज्यादा वोट मिलता है तो आयोग उसकी जमानत राशि लौटा देता है। इसके अलावा कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेता है या उसका नामांकन किसी कारण से रद्द होता है तो इस स्थिति में भी जमानत राशि वापस कर दी जाती है। इसके अलावा जीतने वाल कैंडिडेट की जमानत राशि भी वापस कर दी जाती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पता लगता है कि राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपनी जमानत बचाने में अच्छा प्रदर्शन किया है। उदाहरण के तौर पर 1951-52 के पहले लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय दलों के 1,217 उम्मीदवारों में से सिर्फ 28 प्रतिशत या 344 की जमानत जब्त हुई। 1957 के चुनावों में इसमें सुधार हुआ। 919 उम्मीदवारों में से केवल 130 या 14 प्रतिशत उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। 1977 के चुनावों में जमानत बचाने के मामले में राष्ट्रीय पार्टियों का सबसे अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। इस बार नेशनल पार्टियों के 1,060 उम्मीदवारों में से केवल 100 (9%) की जमानत जब्त हुई। पर 2009 का चुनाव राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों के लिए बहुत खराब साबित हुआ और लगभग हर दूसरे उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। 2009 में, राष्ट्रीय पार्टियों ने कुल 1,623 उम्मीदवार उतारे, जिसमें से 779 की जमानत जब्त हो गई थी। सिर्फ लोकसभा चुनाव ही नहीं, विधानसभा चुनाव में भी उम्मीदवारों को जमानत राशि जमा करनी होती है। विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को जमानत राशि के तौर पर 10000 रुपये और एससी-एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 5000 रुपए की राशि जमा करनी होती है।